प्रस्तावः एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की जगह कैपिटल सब्सिडी

लखनऊ | विशेष संवाददाता

यूपी सरकार उद्यमियों को बड़ी राहत देगी। उन्हें अब एसजीएसटी प्रतिपूर्ति इंसेंटिव की जगह कैपिटल सब्सिडी की सुविधा देने की तैयारी है। कैपिटल सब्सिडी की दर निवेश वाले क्षेत्र के भौगौलिक पिछड़ेपन के आधार पर तय होगी। इससे निवेशकों को एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की जटिल प्रक्रिया से निजात मिल सकेगी।

औद्योगिक विकास विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाया है। इसे जल्द कैबिनेट से पास कराया जाएगा। वर्तमान में औद्योगिक निवेश नीति 2012 व 2017 के तहत निवेश परियोजनाओं पर एसजीसीटी प्रतिपूर्ति के मामले लंबित हैं। इससे जीएसटी प्रतिपूर्ति की गणना जटिल प्रक्रिया है। यह समस्या आने पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर बनाया गया लेकिन इससे भी समाधान नहीं हो पाया।

उद्यमियों को राहत

- औद्योगिक विकास विभाग का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में पेश होगा
- कैपिटल सब्सिडी की दर निवेश क्षेत्र के पिछड़ेपन के आधार पर